Form No. III

Qnl&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शान्तिलाल छीपा बनाम **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **003** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2025	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी शान्तिलाल छीपा निवासी हिन्दु छीपा मौहल्ला, लौहारों की मस्जिद के पास चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मोबाईल (9785226101) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील क्रमांक/प्रथम अपील/2025/49 दिनांक 12.02.2025 प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के दो प्रतियों अपील आवेदन में मय लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम 2005 की धारा 6(01) तहत प्रस्तुत आवेदन की छाया प्रति, आवेदन शुल्क की छाया प्रति एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति के प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 की छाया प्रति एवं अन्य वांछित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि प्रथम अपील ग्रहण किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजात है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र की भाषा अस्पष्ट है जिसमें अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष अस्पष्ट है, ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 की छाया प्रति के साथ सुपाठ्य एवं स्पष्ट पोस्टल रसीद, आवेदन शुल्क की प्रति के साथ अपील मेमों में वांछित अनुतोष एवं विवरण अंकित करते हुए नवीन प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करावें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 12.03.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official